संख्या-10 /2018-390 ई-2/तेरह-2018-142/2017

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 05 फरवरी,2018

विषय:-उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों से प्रदेश के बाहर शीरा निर्यात की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-90/दस-144ए/शी0नि0/उत्तराखण्ड/15-16, दिनांक 08 जनवरी,2018, पत्र संख्या-जी-94/दस-144ए/शी0नि0/पंजाब, दिनांक 15 जनवरी,2018, पत्र संख्या-जी-95/दस-144ए/ शी0नि0/पंजाब, दिनांक 18 जनवरी,2018 और इस सम्बन्ध में दि0 25-01-2018 को अवस्थापना एवं औदयोगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न शीरा विचलन समिति की बैठक का कार्यवृत्त पत्र संख्या-286 ई-2/तेरह-2017-142/2017, दिनांक 25 जनवरी,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों में प्रेषित प्रस्ताव एवं अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित शीरा विचलन समिति की संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के बाहर स्थित इकाईयों को उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों से कुल 29,50,000 कुण्टल शीरा निर्यात की अनुमति निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रदान की जाती है:-

क्र0	इकाई का नाम	शीरे की आवंटित मात्रा
1-	मेसर्स इण्डिया ग्लाईकाल्स लि0, काशीपुर, उत्तराखण्ड।	10,00,000 कुण्टल
2-	मेसर्स रेडिको एनवी डिस्टिलरी, महाराष्ट्र।	1,50,000 कुण्टल
3-	एसकेपी ग्रुप रोहित फैरो टेक, उड़ीसा।	50,000 कुण्टल
4-	जैगपीन ब्रिवरी लि0, छत्तरपुर, म0प्र0।	1,00,000 कुण्टल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5-	इम्फा (इण्डियन मैटल एण्ड फैरो एलाएज लि0) उड़ीसा।	2,00,000 कुण्टल
6-	ई0आई0डी0 पैरी इण्डिया लि0, कर्नाटक।	4,00,000 कुण्टल
7-	चण्डिका डिस्टिलरी प्रा0लि0, नेपाल।	2,50,000 कुण्टल
8-	नार्दर्न एनीमेटेड एनिमल फीड प्रा0लि0, पश्चिम बंगाल।	20,000 कुण्टल
9-	ज्योति डिस्टिलरी उद्योग प्रा0लि0, पिप्रा पोखरिया रौतहट, नेपाल।	3,00,000 कुण्टल
10-	फैरो एलाएज को0लि0 (फैकर) उड़ीसा।	30,000 कुण्टल
11-	मे0 वेलकम डिस्टिलरी प्रा0लि0, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।	2,50,000 कुण्टल
12-	मे0 पटियाला डिस्टिलर्स एण्ड मै0 लि0 पटियाला, पंजाब।	2,00,000 कुण्टल

उक्त सभी इकाईयों को शीरा निर्यात की अनुमति प्रदान करने की संस्तुति इस प्रतिबंध के साथ दी जाती है कि उत्तराखण्ड राज्य को निर्यात की गई शीरे की मात्रा उत्तराखण्ड राज्य एवं उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य विचाराधीन एम0ओ0यू0 में प्रस्तावित मात्रा के अन्तर्गत होगी तथा वर्तमान में प्रदेश की चीनी मिलों में शीरा ओवरफ्लो की स्थिति के दृष्टिगत उक्त सभी इकाईयों को स्थानीय आबकारी विभाग के अधिकारियों/ जिलाधिकारी से प्राप्त वास्तविक आवश्यकता की रिपोर्ट के आधार पर शीरा उठान/सम्भरण की अनुमति शीरा नियंत्रक के स्तर से प्रदान की जाएगी। चूँकि शीरा संचय की समस्या वर्तमान में है, अतः ऐसी स्थिति में त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से शीरा निर्यात हेतु समय सीमा निर्धारित कर दी जाय, जिससे उठान में तेजी आए। साथ ही प्रदेश में देशी मदिरा के निर्धारित एम0जी0क्यू0 की प्राप्ति हेतु वांछित मात्रा में अल्कोहल/शीरे की उपलब्धता न होने की दशा में निर्यात तत्काल रोक दिया जायेगा।

कृपया तद्नुसार आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वेद प्रकाश राय)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in